

7219

कुर्स 1,20,000/-

7/40 1000Rs.



प्राप्ति की प्राप्ति  
जो साल १८५८ के अन्दर इसका नियम दिया गया था।  
को अन्तर्कालीन आवश्यकता के अधीन  
यथावत् नहीं होता। २३  
नवीनी विभाग ने इसकी विभागीय विभाग  
नहीं है। ६१९१०४

प्राप्ति की प्राप्ति  
जो साल १८५८ के अन्दर इसका नियम दिया गया था।  
को अन्तर्कालीन आवश्यकता के अधीन  
यथावत् नहीं होता। २३  
नवीनी विभाग ने इसकी विभागीय विभाग  
नहीं है। ६१९१०४

प्राप्ति की प्राप्ति  
जो साल १८५८ के अन्दर इसका नियम दिया गया था।  
को अन्तर्कालीन आवश्यकता के अधीन  
यथावत् नहीं होता। २३  
नवीनी विभाग ने इसकी विभागीय विभाग  
नहीं है। ६१९१०४

प्राप्ति की प्राप्ति  
जो साल १८५८ के अन्दर इसका नियम दिया गया था।  
को अन्तर्कालीन आवश्यकता के अधीन  
यथावत् नहीं होता। २३  
नवीनी विभाग ने इसकी विभागीय विभाग  
नहीं है। ६१९१०४

रुपये - 4900/-

6.9.04

कुल

:- बिक्रिय पत्र के वाला दस्तावेज़ :-

रुपये - 1200.00

M.G. 36.00 बिक्रेता :- श्रीमती नीलम सिंह पति श्री बिनोद कुमार सिंह, जाति-  
भुमिहार, पेशा-गृहिणी, मौ०-तेलीपाड़ा हीरापुर, थाना वो जिला-धनबाद,

Sale 250 वर्तमान साकिम-न्यु बरगंडा, थाना वो जिला-गिरीडीह, के तरफ से  
आम-मौक्तार श्री भागीरथ महतो पिता श्री रामधन महतो, जाति-

P.B. 3.44 तेली, पेशा-व्यवसाय, साकिम-हरीयाड़ीह, थाना-गो बिन्दपुर, वर्तमान  
थाना-बरवाइडा, जिला-धनबाद को निबंधन कार्यालय गिरीडीह, जिला-

गिरीडीह के द्वारा आम-मौक्तार नामा के दलिल नं०-४४२११ दिन-

11.05.2004, के द्वारा प्राप्त हुआ है।

011724/97.

Any

1661/04-05  
Smt. Karpava Gupta,  
Chiragor Dhamdara

44000(1000 x 4 + 100 x 4)  
6181M

मार्गदर्शक मट्टा  
619/04

69.५०६. 101.  
प्रति 200 रुपये को करने वाले व्यक्ति का नाम प्रधान नियमाला  
में नामांकित, घनबाद में स्कॉलरशिप दाखिले थे और इसका  
दाता एकाधीक्षक चुनियांदे थे। जिसका 200 रुपये का अंगता  
नियमाला में या दातारते में नामांकित हो गया था। इसका  
नामांकित का नाम  
द्वितीय राज्य भवन  
प्रधान  
जिसका नामांकित हो गया था।



उपलब्धपत्र का दस्तावेज़

69.५७

जारीकरनी — मार्गदर्शक मट्टा

ने इनकी वहान एवं मार्गदर्शक मट्टा  
प्रिया — द्वितीय भवन  
एक वीरा नाम, परन्तु ने सकारा के जहान दखावा  
नियमित की है।



मार्गदर्शक मट्टा  
619/04

नियंत्रण पदाधिकारी  
घनबाद  
69.५७



५०/६७४२८८

:- 2 :-

क्रेता :- श्रीमती कल्पना गुप्ता पति श्री राजकुमार साव, जाति-तेली,  
पेशा-गृहणि, स्थाईसाक्षिम वो पौर-लक्ष्मीपुर, थाना-लक्ष्मीपुर, जिला-  
जमुई। वर्तमान साक्षिम-चीरागोड़ा इमसान रोड़ धनबाद, थाना वो  
जिला-धनबाद है भारतीय है।

बिक्र्य पत्र है केवाला दस्तावेज है।

मूल्य- १,२०,०००/- है एक लाखबीस हजार रुपया है मात्र।

सलाना मालगुजारी-५० पैसा है प्रवास पैसा है मात्र।

वर्तमान मालिक जमीनदार झारखण्ड सरकार।

अंचल कार्यालय गोविन्दपुर।

तपश्चील सम्पत्ति :- जिला वौकि सदर निबंधन कार्यालय धनबाद, थाना-  
गोविन्दपुर वर्तमान थाना-बरवाड़ा अन्तर्गत मौजा-सुसनीलिवा में कायमी

1000Rs.



६/९/०५  
नं४८२७८५९

: - ३ :-

रैयती स्वत्व का खात खरीदा जपीन, मोजा नं०-८८, खाता नं०-०२ दो  
सामिल प्लोट नं०- 306, 307, 308, 309, 310, और 311, और नया  
प्लोट नं०-207, 208, 209, कुल छ: प्लोट बाईद, कुल रकवा में से  
रकवा-05 <sup>१</sup>/<sub>२</sub> कटठा यानि- ९.०९ डिसमिल जमीन इस दस्तावेज  
द्वारा आपको बिक्री किया, जो इस दस्तावेज के साथ दिये गये नक्शा  
में लाल रंग से दर्शाया गया है। जिसका जमावंदी संख्या-462 एवं  
468 में वसूल होता है।

जिसका वौहददी :- ३०- रोशन लाल साव एवं प्लोट नं०-३१२,  
६०- रुबी गुप्ता,  
८०- प्लोट नं०-३०५, और  
८०- सड़क।

1000Rs.



6/9/04  
दिनांक  
दिल्ली

:- 4 :-

उक्त वौहद्दी मुता बिक 05<sup>1</sup>-कट्ठा यानि 9.09 डि० जमीन इस  
दस्तावेज द्वारा आपको बिक्री किया ।

उक्त सम्पत्ति धनबाद निबंधन कार्यालय में निर्बंधीत किया हुआ  
केवाला दलिल नं०-3538 द्वारा दिनांक-26.6.02 साल में नासिर  
मियाँ से वो केवाला दलिल नं०-3219 द्वारा ई० दिनांक-12.6.02  
को तपन कुमार भट्टाचार्य से 01 नं० बिक्रेता के नीज नाम से खरीदा  
सम्पत्ति है, उक्त सम्पत्ति हमलौग के खास दखली सम्पत्ति है ।

100Rs.



40/4  
6/9/14  
16/11/14

:- 5 :-

उक्त सम्पत्ति हैता न्तरण हेतु शहरी भू-दबावन्दी अधिनियम 1976 की  
धारा 26(1) के अन्तर्गत अपर समाहता धनबाद के ज्ञापाक -1559 दिनांक  
21.3.04 के द्वारा बिक्री करने का अनापत्ति प्राप्त हुआ है।

वुँकि बिक्री पत्र बिवरण यह है कि हमलोगों को संसारिक खर्च के  
लिए रुपये कि अति आवश्यकता आ जाने ले उक्त जमीन का समयोगित  
तर्फ़च मूल्य - 1, 20, 000/- रुपये धार्य कर आपको बिक्री कर सदा के  
लिए निःस्वत्व हुए एवं आपको दखलकार किया तथा दखल दिया।

उपरोक्त जायदाद पर हमलोगों का जिस प्रकार का हक-अछित्यार  
दावी दावा आदि था, आज तारिख से आपका हुआ आप उक्त जायदाद पर  
मकान आंगन कुँआ बगान-बगिचा दि तैयार कर नीज वसवास या किराया

100Rs.



6/2/1964  
6/2/1964  
6/2/1964

:- 6 :-

बन्दोबस्त कर अपना ईच्छानुसार दान बिश्री आदि सर्वप्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर वंश परम्परा में पूत्र-पोत्रादि एवं वारीसन के साथ सदा के लिए भोग दखल करते रहे इसमें हमलोग या हमलोगों के वारीसन किसी प्रकार का वज्र या स्तराज नहीं कर सकता है और करने पर भी वह कानुन के मुताबिक नां-मंजुर होगा ।

उपरोक्त जायदाद का सलाना मालगुजारी मालिक जमींदार झारखण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खारीज करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करें ।



ग्रहण  
मुद्रा  
6/9/04

:- 7 :-

उपरोक्त जायदाद हमलोगों का दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहिं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके वंशज को क्षति पहुँचे तो हमलोग या हमलोगों के वारीसन क्षति पुरण का देनदार होगा या होंगे ।

अतः हमलोग अपना-अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से बिवार कर मूल्य का पुरा रूपये पाकर सबं समझ-बुझकर यह बिक्र्य-पत्र स्थापन कर दिया कि समय पर काम आवें । ईति दिनांक - 30.08.2004 साल ।

100Rs.



१०२५८  
६१९१६२  
४४४४

:- 8 :-

दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों  
को पढ़कर सूनाया एवं समझा दिया।

मार्गीरथ महान् ११८ भा० १०८ ३२३

प्रमाणित किया जाता है कि मूल  
दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक ११८  
दुसरे कि हुबहु और सच्ची -

प्रतिलिपि है ।

मार्गीरथ महान्  
११९१८६९

टंकानी  
१३०१८६९

११८

२१ वीट रेपान  
मैमांग माट

:- गवाहगण :-

अपुग महान्  
मार्गीरथ

500Rs.



७३४  
६/१०५  
G/12/2011  
Official

200Rs

00/646404

Dur

13027 - Ghalan  
SOLD TO Mr. K. R. S. Rao Anglo-N. R. L. Sons  
OF Chittorgarh Guru  
CALULE NO 547 am  
TEROSEN  
NAME OF STAMP NO 1



160  
5 +  
60  
1140-2009  
6-9-97  
160  
5 +  
60  
1140-2009  
6-9-97